सं0–884 / सैंतीस–2 / 2020

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, (प्रशासन एवं विकास),
2. निदेशक, (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र),
   पशुपालन निदेशालय,
   लखनऊ।

पशुधन विभाग लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2020

विषयः कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लॉक डाउन अवधि में विभाग द्वारा सुनिश्चित कराये जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोरोना वायरस (COVID-19) की आपदा के दृष्टिगत इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है। तत्क्रम में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न आदेश निर्गत करते हुए आवश्यक सेवाओं को चिन्हित किया गया है। चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय आदेश संख्या–693 / पांच–5–2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा खाद्य एवं रसद सामग्रियों के अन्तर्गत फल, सब्जी, दूध, डेरी, किराना एवं पेयजल के साथ–साथ चिकन, अण्डा एवं मीट को भी चिन्हांकित किया गया है। इसी प्रकार पशु–पक्षी चिकित्सा एवं पशु–पक्षी, मत्स्य आहार से संबंधित इकाइयों एवं विक्रेताओं को भी आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय आदेश संख्या–679 / पांच–5–2020 दिनांक 23.03.2020 द्वारा सामग्री आपूर्ति वाले वाहनों में पशु चारा ढुलाई करने वाले वाहनों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लॉक डाउन अवधि में पशुधन विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

1. जैसा कि उपर्युक्त वर्णित निर्देशों से स्पष्ट है कि पशु–पक्षी चिकित्सा सेवाओं को आवश्यक सेवाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पत्र संख्या–K–13013(15) / 18 / 2020–LH द्वारा भी अपेक्षा की गयी है कि सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ निजी क्लीनिक, वेटनरी पैथोलॉजी तथा पशु संरक्षण केन्द्रों का निर्वाध संचालन कराया जाए। अतः उक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवाएं यथा रोग निदान, चिकित्सा एवं आपातकालीन पशुधन एवं कुक्कुट रोगों पर नियंत्रण एवं उनकी रिपोर्टिंग की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। परन्तु यह ध्यान रखा जाए कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने एवं बचाने के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का उपचार करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए चिकित्सकों को पी0पी0ई0 किट की आवश्यकता होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पशुधन विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर कतिपय संख्या में उक्त किट्स उपलब्ध हैं। विद्यमान आपात परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता

है कि मानव उपचार हेतु चिकित्सकों के प्रयोगार्थ मांग किए जाने पर उक्त किट्स जिलाधिकारियों के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिए जाएं। परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परिस्थितियां सामान्य होने पर संबंधित विभाग से उतनी संख्या में किट्स वापिस प्राप्त कर लिए जाएंगे। जनपद स्तर पर जनपदीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को इस हेतु अधिकृत किया जाता है।

3. जनपद स्तर पर पशु–पक्षी एवं मत्स्य आहार की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों एवं उनके निर्माण करने वाली इकाइयों को आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत चिन्हित कराते हुए सुनिश्चित किया जाए कि पशु–पक्षी आहार सामग्रियों यथा भूसा, हरा चारा, मक्का, सोया, कैटल फीड, पॉल्ट्री फीड, फिश फीड एवं डॉग फूड आदि का परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहे तथा इन सामग्रियों की दुकानों एवं निर्माण इकाईयों को आवश्यकतानुसार संचालन की अनुमति मिल सके। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने भी अपने पत्र संख्या–Q–11/1/2020 दिनांक 23.03.2020 द्वारा यही अपेक्षा की है।

4. जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि पशु चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उसके परिवहन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है जिससे जनपद स्तर पर पशुओं के आहार की कमी न हो।

5. निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। वृह्द गो–संरक्षण केन्द्रों, अस्थायी गो आश्रय स्थलों, पंजीकृत गोशालाओं, कान्हा गोशाला, काजी हाउस एवं कान्हा उपवन आदि में पशुओं के चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

6. पशुधन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पशु प्रक्षेत्र एवं वीर्य उत्पादन केन्द्र संचालित हैं। इन प्रक्षेत्रों में काफी संख्या में पशु अथवा पक्षी पाले जा रहे हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध पशु एवं पक्षियों हेतु आहार एवं दवाओं आदि की आपूर्ति लॉक डाउन होने के कारण प्रभावित न हो। पर्याप्त उपलब्धता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार की जीव हानि न हो। संबंधित प्रक्षेत्र प्रभारी एवं केन्द्र प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

7. वीर्य उत्पादन केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों पर अति हिमीकृत वीर्य को उपयोगी बनाए रखने हेतु तरल नत्रजन की सामयिक उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है। अतः तरल नत्रजन के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को सुलभ बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

8. लाक डाउन की अवधि में खाने–पीने की सामग्री के अभाव में निराश्रित पशुओं विशेष रूप से कुत्तों द्वारा उग्र व्यवहार अथवा उनकी असमय मृत्यु की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक है कि नगरीय स्थानीय निकायों, जनपद में सक्रिय **एस0पी0सी0ए0** एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से निराश्रित पशुओं के भरण पोषण की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

9. उक्त सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ पशु–पक्षियों एवं मत्स्य आहार के प्रतिष्ठानों, निर्माण इकाइयों के कर्मियों, चारा परिवहन करने वाले वाहनों तथा स्थानीय बाजार तक अण्डों की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों आदि को जिला प्रशासन से आवश्यक सेवाओं

की आपूर्ति संबंधी पास निर्गत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपदीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

10. जनपद स्तर पर संचालित किए जा रहे समेकित कन्ट्रौल रूम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न शिफ्टों में विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जो विभाग से संबंधित विषयों एवं कठिनाइयों का समुचित समाधान कराने तथा जनपदीय सूचनाओं का संकलन कर उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

11. भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 26 मार्च, 2020 से प्रारम्भ होने वाले राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका, मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण को अग्रतर आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। परन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर आपूर्तित वैक्सीन की कोल्ड चेन बनी रहे ताकि भविष्य में परिस्थितियॉ सामान्य होने पर उपलब्ध वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण के लिए किया जो सके।

उपर्युक्त निर्देशों में यथा संभव महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किया गया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मात्र यही बिन्दु अन्तिम हैं। इनके अतिरिक्त भी विभाग से संबंधित विषय प्रकाश में आ सकते हैं। अपेक्षा की जाती है कि विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर रूचि लेकर विवेक का प्रयोग करते हुए सक्रियता एवं तत्परता से कार्यवाही की जाएगी। तथापि यदि कोई नीतिगत विषय हो तो उसे शासन को संदर्भित किया जाए।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>सं0–884/सैंतीस–2 (1)/तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जनपदीय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रक्षेत्र/वीर्य उत्पादन केन्द्र प्रभारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।